भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2697

जिसका उत्तर मंगलवार, 09 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

**फेम इंडिया योजना**

**2697. श्री चंद्र शेखर साहू:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना 2020 के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2015 को फास्टर एडोप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक वेहिकल्स (फेम) को आरंभ किया गया था जिसका 2020 तक भारतीय सड़कों पर छह मिलियन हरित वाहन लाने का लक्ष्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि निर्धारित और उपयोग की गई है;

(ग) क्या सरकार ने 'फेम' के प्रथम चरण का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे हैं;

(ङ) क्या हाइब्रिड और विद्युत चालित वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए पूर्व के प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं थे;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या देश में 'फेम' के द्वितीय चरण को औपचारिक बनाने के लिए वाहन निर्माता और उद्योग निकाय एसआईएएम (सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव मैनुफैक्चर्स) ने सरकार के साथ चर्चा आरंभ की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री**

**(श्री अरविंद गणपत सावंत)**

**(क) और (ख):** जी, हां। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) 2020 देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं उनके विनिर्माण के लिए विजन तथा रोडमैप उपलब्ध कराने वाला एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज है। एनईएमएमपी 2020 के भाग के रूप में, भारी उद्योग विभाग ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड प्रौद्योगिकी के विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा इसकी सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2015 में एक योजना नामतः भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम-इंडिया) तैयार की। इस योजना का चरण-I दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से मूलतः दो वर्षों की अवधि के लिए था, जिसे बाद में समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बढ़ोतरी दिनांक 31 मार्च, 2019 तक थी। फेम इंडिया योजना के चरण-I को चार फोकस क्षेत्र नामतः (i) मांग सृजन, (ii) प्रौद्योगिकी मंच, (iii) प्रायोगिक परियोजना और (iv) चार्जिंग अवसंरचना के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। सभी वाहन सेगमेंटों अर्थात् दुपहिया, तिपहिया ऑटो, यात्री चौपहिया वाहनों, हल्के वाणिज्यिक वाहनों तथा बसों पर प्रोत्साहन देकर मांग प्रोत्साहनों के माध्यम से बाजार सृजन का लक्ष्य था। इसके व्यापक अंगीकरण को सुगम बनाने के लिए एक्सईवी के

खरीददारों को अपफ्रंट कम खरीद मूल्य के रूप में मांग प्रोत्साहन उपलब्ध था। इस योजना के तहत प्रायोगिक परियोजनाओं, अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी विकास और सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना घटकों के तहत विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुदान भी मंजूर किए गए। फेम इंडिया योजना के चरण-I के तहत, ₹343 करोड़ (लगभग) के कुल मांग प्रोत्साहन के साथ लगभग 2.78 लाख एक्सईवी की सहायता की गई। इस योजना के तहत विभिन्न शहरों/राज्यों को 465 बसें मंजूर की गई। फेम इंडिया के चरण-I के तहत विनिर्दिष्ट और उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

| **क्रम सं.** | **वित्तीय वर्ष** | **आवंटित निधि** | **उपयोग की गई निधि** |
|---|---|---|---|
| 1. | 2015-16 | ₹75 करोड़ | ₹75 करोड़ |
| 2. | 2016-17 | ₹144 करोड़ | ₹144 करोड़ |
| 3. | 2017-18 | ₹165 करोड़ | ₹165 करोड़ |
| 4. | 2018-19 | ₹145करोड़ | ₹145करोड़ |
| **कुल** | | **₹529 करोड़** | **₹529 करोड़** |

**(ग) और (घ):** जी, हां। फेम योजना के चरण-I का मूल्यांकन एक स्वतंत्र परामर्शदाता द्वारा किया गया था। परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत की गई परिणामी रिपोर्ट के मुख्य विष्कर्ष परिणाम निम्नानुसार हैं:-

i. गत दो वर्षों के दौरान, सभी चर्चाओं में स्वच्छ मोबिलिटी के एजेंडे को आगे और केन्द्र में रखा गया है। अपेक्षाकृत वर्धित जागरुकता अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

ii. ईंधन की बचत और कार्बन डाई ऑक्साइड में कमी के मुख्य मानकों के समग्र परिणाम फेम के लिए लक्ष्य से काफी कम हैं।

iii. उद्यमी विकसित हो रही सक्षमताओं के बारे में सतर्क हैं- उद्यमियों ने अपनी मुख्य सक्षमताओं के निकटवर्ती से प्रचालन का चयन किया है।

iv. पावर ट्रेन प्रौद्योगिकी (स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने के लिए) के आधार पर और प्रौद्योगिकियों में समानता लाने के लिए सब्सिडी ढ़ांचे को संशोधित करने की आवश्यकता है।

v. समग्र चरणवद्ध कार्यान्वयन योजना आरंभ हुई है लेकिन धीमी गति से, जिससे पहले चरण में प्रदर्शित सीमित प्रगति हुई। योजना के अगले चरण का विस्तार एक स्वच्छ कैच-अप योजना पर केन्द्रित होनी चाहिए।

vi. ई- तिपहिया और ई-रिक्शा जैसे बेहिसाबी सेंगमेंटों से लाभ से संभाव्यतः अच्छे परिणाम हो सकते हैं, तथापि, ई-रिक्शा जैसे सेंगमेंट में वृद्धि नियोजित नहीं थी। इस सेगमेंटों को सहायता का आकलन होना चाहिए।

**(ङ) और (च):** फेम योजना के चरण-I के तहत, स्वामित्व की कुल लागत (टीसीओ), ईंधन की बचत के रूप में पे-बैक अवधि, रखरखाव की लागत आदि के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक श्रेणी (वाहन-प्रौद्योगिकी-बैटरी का प्रकार) के लिए मांग प्रोत्साहन की राशि तय की गई।

**(छ) और (ज):** फेम योजना के चरण-I के दौरान प्राप्त अनुभव और उद्योग संघों सहित अनेक स्टेकहोल्डरों के सुझावों के आधार पर भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से तीन वर्षों की अवधि के लिए 10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ मंत्रिमंडल के अनुमोदन से का.आ. 1300 (ई) दिनांक 08 मार्च, 2019 के द्वारा योजना के चरण-II को अधिसूचित किया। योजना के ब्यौरे विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

*****